फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द

श्री बाबूलाल जाजू निवासी जाजू भवन आजाद चौक के पास भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

— अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, नाथद्वारा

— रेस्पोण्डेंट

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार — पत्रावली संख्या 28/2017

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	[illegible]

दिनांक 20.12.2017

अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, नाथद्वारा से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, नाथद्वारा को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लो0सू0 अधिकारी तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा जरिये पत्रांकः— सू.अ./2017/3059—60 दिनांक 19.12.2017 से रिपोर्ट प्रेषित की गयी। रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित किया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना मे स्पष्ट विवरण अंकित नहीं होने से सूचना प्रदान नही की गई है। इसके संबंध में प्रार्थी को भी जरिये पत्रांक भू0अ0/2017/1345 दिनांक 30.08.2017 से बिन्दु संख्या 01 में चाही गयी सूचना में तहसील क्षेत्र नाथद्वारा में बनास एवं खारी नदी क्षेत्र का वर्ष 1947 का नक्शा ट्रेस चाहा है जो इस कार्यालय मे उपलब्ध नहीं है वांछित नक्शा ट्रेस का आराजी नम्बर अंकित करें। बिन्दु संख्या 02 का विवरण अस्पष्ट/अपूर्ण है जिस व्यक्ति का आवंटन आदेश वांछित है उसका नाम, आराजी नम्बर, ग्राम का नाम, पटवार मण्डल का नाम, आवंटन वर्ष, आदेश क्रमांक का अंकन करें। बिन्दु संख्या 03 का विवरण अस्पष्ट/अपूर्ण है जिस व्यक्ति के अतिक्रमण की कार्यवाही/आदेश की सूचना वांछित है उसका नाम, आराजी नम्बर, ग्राम, पटवार मण्डल का नाम अंकित करें। के संदर्भ में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मे चाही गई सूचना का स्पष्ट विवरण अंकित नहीं होने से सूचना प्रदान किया जाना संभव नहीं है। इस संबंध में अपीलार्थी को भी उसके डाक के पते पर सूचनार्थ प्रति पृष्ठांकित कर प्रेषित की गयी।

लो0सू0अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। लो0सू0अ0 तहसीलदार, नाथद्वारा ने अपीलार्थी को सूचित कर दिया गया कि स्पष्ट विवरण अंकित नही होने से सूचना दिया जाना संभव नहीं है। अतः अपील को इसी स्टेज पर निरस्त की जाती है। निर्णय प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, नाथद्वारा को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर